NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-02-2025

विषय सूची

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष
ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता
आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए घर से कार्य करने को बढ़ावा
रुटेज(RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC)
चीन का EAST रिएक्टर

संक्षिप्त समाचार

MSMEs के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना
केरल की पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की योजना
परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व
पुडुचेरी-विल्लुपुरम-ऑरोविले-कुड्डालोर जैव-क्षेत्र
अरावली सफारी पार्क परियोजना
पौधों के लिए बैक्टीरिया से बना बैंड-एड
DDoS हमला
सक्षम (SAKSHAM) अभियान
ब्लेयर हाउस (Blair House)

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

संदर्भ

- सरकार ने भारत आने वाले विदेशियों को विनियमित करने के लिए आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 नामक एक मसौदा कानून तैयार किया है।

परिचय

- **विदेशियों और आव्रजन से संबंधित मामले वर्तमान में निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं:** विदेशी अधिनियम, 1946; पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000।
  - इनमें से तीन कानून संविधान-पूर्व अवधि के दौरान, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान अधिनियमित किए गए थे।
- इन कानूनों को निरस्त करने और एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता की पहचान की गई है: आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025।
- **नए कानून का उद्देश्य है:**
  - कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन से बचना।
  - विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं: वीजा की आवश्यकता, पंजीकरण और अन्य यात्रा-संबंधी दस्तावेज (पासपोर्ट, आदि)।
  - भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

प्रावधान

- यह विदेशियों के आगमन पर उनके अनिवार्य पंजीकरण को बाध्य करता है और संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवागमन, नाम परिवर्तन एवं ठहरने पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह सिद्ध करने का भार व्यक्तियों पर है कि वे विदेशी नहीं हैं।
- **बिना वैध पासपोर्ट/वीजा के भारत में प्रवेश करना:** 5 वर्ष तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- **जाली दस्तावेजों के साथ प्रवेश, ठहरना या बाहर निकलना:** 2-7 वर्ष की जेल और 1-10 लाख रुपये का जुर्माना।
- **अधिक समय तक ठहरना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना:** 3 वर्ष तक की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को विदेशियों की रिपोर्ट पंजीकरण अधिकारी को देनी चाहिए।
- **वाहक की जवाबदेही:** वैध दस्तावेजों के बिना विदेशियों को ले जाने वाले वाहकों को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा और जुर्माना न भरने पर परिवहन को जब्त किया जा सकता है।
  - यदि किसी विदेशी को प्रवेश देने से मना कर दिया गया है, तो उसे आव्रजन अधिकारी द्वारा परिवहन वाहक को सौंप दिया जाएगा, जो उस व्यक्ति को बिना देरी के भारत से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा।
  - यह आव्रजन अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- **सरकारी अधिकार:** यह विधेयक केंद्र सरकार को विदेशियों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए अधिक अधिकार भी देता है, जिसमें प्रवेश को प्रतिबंधित करने, प्रस्थान को रोकने और विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है।
  - विदेशियों को अपने व्यय पर बाहर निकलना होगा और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना होगा।

Source: TH

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष

संदर्भ

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने हाल ही में अपनी नौवीं वर्षगांठ मनाई, जो व्यापक फसल बीमा के साथ भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लगभग एक दशक का प्रतीक है।

PMFBY के बारे में

- **प्रारंभ:** 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।
- **कवरेज:** बटाईदार और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान, निर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं।
- **कवर की जाने वाली फसलें:**
  - खाद्य फसलें (अनाज, श्री अन्न और दालें)
  - तिलहन
  - वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें

कवर किए गए जोखिम

- **उपज में कमी (खड़ी फसलें):** सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियों जैसे गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण होने वाली हानियाँ।
- **रोकी गई बुवाई:** प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जब किसान बुवाई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है।
- **कटाई के पश्चात् होने वाली हानि:** प्राकृतिक आपदाओं के कारण कटाई के 14 दिनों के अन्दर फसल की हानि के लिए कवरेज।
- **स्थानीय आपदाएँ:** ओलावृष्टि, भूस्खलन, वृष्टि प्रस्फुटन आदि के कारण होने वाली क्षति।

कार्यान्वयन और कवरेज वृद्धि (2016-2024)

- **किसान नामांकन:** 40 करोड़ से अधिक किसान आवेदन पंजीकृत हुए।
- **भूमि कवरेज:** 30 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का बीमा किया गया।
- **किफायती प्रीमियम और उच्च दावों का निपटारा:**
  - किसानों ने प्रीमियम के रूप में ₹29,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया।
  - 1.50 लाख करोड़ से अधिक दावों का वितरण किया गया, जो इसे किसान हितैषी पहल सिद्ध करता है।
- **अनुकूलित बीमा योजनाएँ:** राज्य-विशिष्ट योजनाएँ और क्लस्टर-आधारित मॉडल दक्षता बढ़ाते हैं।
- **समावेशी विकास:** 70% से अधिक लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं।
- **जलवायु जोखिम शमन:** अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।

प्रौद्योगिकी प्रगति

- **AI और जियो टैगिंग (Geo tagging):** सटीक क्षति सत्यापन और उपज अनुमान को सक्षम करके फसल हानि आकलन में सटीकता बढ़ाना।
- **CCE-एग्री ऐप और यस-टेक(YES-TECH):** फसल कटाई प्रयोगों (CCE) को रिकॉर्ड करने और उपज का अनुमान लगाने के लिए मोबाइल-आधारित उपकरण।
- **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP):** वास्तविक समय की निगरानी और दावों के प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत मंच।
- **डिजिटल दावा निपटान:** मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से तेज़ भुगतान।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **दावा निपटान में विलंब:** नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और बीमा कंपनियों तथा राज्य सरकारों के बीच विवाद भुगतान को धीमा कर देते हैं।
- **राज्य वापसी और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय चिंताओं के कारण वापसी की।
- **कम जागरूकता और किसान भागीदारी:**विभिन्न किसान, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, इस योजना के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
- **डेटा और प्रौद्योगिकी अंतराल:** वास्तविक समय के मौसम संबंधी डेटा की कमी और फसल हानि के आकलन में देरी से दावा प्रक्रिया प्रभावित होती है।

हालिया सुधार और भविष्य की संभावनाएँ

- **PMFBY 2.0 – पुनर्गठित दिशा-निर्देश (2020-21):**
  - **स्वैच्छिक नामांकन:** 2020 से, भागीदारी को स्वैच्छिक बना दिया गया है।

- **राज्य की लोचशीलता:** राज्य क्षेत्रीय कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीमा उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं।
- **जलवायु प्रतिरोधक नीतियों के साथ संरेखण:**
  - जलवायु-प्रतिरोधी खेती को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के साथ जोड़ा गया।
- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS):**
  - PMFBY के साथ-साथ प्रारंभ की गई मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना।
  - **PMFBY से अंतर:** RWBCIS वास्तविक उपज हानि के बजाय मौसम मापदंडों के आधार पर दावों की गणना करता है।

आगे की राह

- **डिजिटलीकरण:** दावों के तेजी से निपटान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करना।
- **राज्यों की पुनः सहभागिता:** उन राज्यों को पुनः शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना जो इससे पीछे हट गए हैं।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** निजी बीमा कंपनियों को क्षेत्र-विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण:** सक्रिय जोखिम शमन रणनीतियों को मजबूत करना।

Source: PIB

ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता

संदर्भ

- "इंडियाज गॉट लैटेंट" शो पर हाल ही में हुई परिचर्चा ने डिजिटल युग में अश्लीलता कानूनों की बदलती व्याख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

अश्लीलता क्या है?

- अश्लीलता से तात्पर्य ऐसी सामग्री या कृत्यों से है जो सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के लिए अपमानजनक हैं।
- कानूनी तौर पर, इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो अश्लील है, या स्वीकृत सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल है।

अश्लीलता में वृद्धि के कारण

- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का तेज़ी से विकास:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रसार ने वैश्विक स्तर पर सामग्री साझा करना आसान बना दिया है, जिससे अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जिनमें से कुछ नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार करते हैं।
- **विवादास्पद सामग्री का मुद्रीकरण:** कुछ निर्माता ध्यान, विचार और राजस्व प्राप्त करने के लिए विवाद या शॉक वैल्यू का लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे अश्लील सामग्री का उत्पादन और प्रसार होता है।

भारत में बढ़ती अश्लीलता के निहितार्थ

- **सामाजिक नैतिकता पर प्रभाव:** डिजिटल मीडिया में अश्लील सामग्री की बढ़ती उपलब्धता सार्वजनिक नैतिकता को प्रभावित करती है, विशेषकर बच्चों और युवा वयस्कों जैसे प्रभावशाली दर्शकों के बीच।
- **साइबर अपराध और शोषण:** ऑनलाइन अश्लीलता में वृद्धि शोषण को बढ़ावा देती है, साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और तस्करी को बढ़ावा देती है।

अश्लीलता क्या है, इस पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण

- **हिकलिन परीक्षण:** इस परीक्षण का सबसे प्रसिद्ध उपयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा DH लॉरेंस की लेडी चैटरलीज लवर पर प्रतिबंध लगाने के लिए रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) के मामले में किया गया था।
  - रेजिना बनाम हिकलिन (1868) के मामले के बाद अंग्रेजी कानून में इस परीक्षण की स्थापना की गई थी।
- **सामुदायिक मानक परीक्षण:** भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) में "सामुदायिक मानकों" परीक्षण का उल्लेख किया।
  - अब न्यायालय कठोर हिकलिन परीक्षण से हटकर अश्लीलता का न्याय करने के लिए समकालीन सामुदायिक मानकों के परीक्षण को लागू करती हैं।

ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। इस अपराध के लिए कारावास और जुर्माना हो सकता है, बार-बार उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 294 (पहले IPC, 1860 की धारा 292) पुस्तकों, पेंटिंग और डिजिटल सामग्री सहित अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, विज्ञापन या व्यावसायिक शोषण पर रोक लगाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तक विस्तारित है, जो डिजिटल स्पेस में कानूनी जवाबदेही को मजबूत करता है।

Source: IE

आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए घर से कार्य करने को बढ़ावा

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में विशेष रूप से महिला पेशेवरों को लक्षित करते हुए घर से काम (WFH) के अवसरों का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है।

परिचय

- आंध्र प्रदेश आईटी और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति 4.0 को शीर्ष IT कंपनियों को आकर्षित करने और रोजगार वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नीति की एक प्रमुख विशेषता निगमों को WFH विकल्प अधिक उदारता से प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कदम का उद्देश्य है:
  - महिला पेशेवरों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
  - पारिवारिक जिम्मेदारियों वाली महिलाओं के लिए रोज़गार को अधिक सुलभ बनाना।

भारत में घर से कार्य करने की नीति

- औपचारिक दूरस्थ कार्य विनियमन वाले कुछ देशों के विपरीत, भारत में WFH नीतियों को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानून नहीं हैं।
  - कंपनियाँ आंतरिक रोजगार अनुबंधों के माध्यम से कार्य के घंटे और अपेक्षाएँ निर्धारित करती हैं।
- हालाँकि, सरकार ने मातृत्व अवकाश या दूरस्थ कार्य की अनुमति देने वाली भूमिकाओं जैसे विशिष्ट मामलों में WFH को प्रोत्साहित किया है।
- COVID-19 महामारी के दौरान WFH अपनाने में शुरुआती उछाल के बावजूद, कई भारतीय IT फर्मों ने तब से कार्यालय लौटने की नीतियों को अनिवार्य कर दिया है।

घर से कार्य करने के पक्ष में तर्क

- **लागत बचत:** WFH ने आवागमन की लागत को काफी कम कर दिया है और कर्मचारियों को अधिक किफायती क्षेत्रों में रहने की अनुमति दी है, जिससे व्यक्तियों एवं संगठनों दोनों को वित्तीय लाभ हुआ है।
- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** WFH कार्य और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों, जैसे कि बच्चों की देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल, को प्रबंधित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान कर सकता है, जो प्रायः महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है।
- **अधिक लचीलापन:** कर्मचारी अपने समय का अधिक कुशलता से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कार्य-जीवन संतुलन में सुधार होता है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को एक साथ निभाती हैं।
- **उच्च ऊर्जा स्तर:** यात्रा के समय में कमी ने कर्मचारी उत्पादकता और कल्याण को बढ़ाया है।
- **नियोक्ता लाभ:** संगठनों को कार्यालय किराये की लागत में कमी और क्लाइंट मीटिंग से संबंधित कम व्ययों से लाभ होता है।

WFH के विरुद्ध तर्क

- **बाधित सहयोग:** भौतिक संपर्क की अनुपस्थिति टीमवर्क, विश्वास निर्माण और समस्या समाधान क्षमताओं को प्रभावित करती है।
- **संगठनात्मक संस्कृति की चुनौतियाँ:** WFH सामाजिक, भावनात्मक और मानव पूँजी निर्माण को कमजोर करता है, जो दीर्घकालिक कार्यस्थल सामंजस्य को प्रभावित करता है।
- **मान्यता की कमी:** WFH महिलाओं के लिए उनके योगदान के लिए दृश्यमान और मान्यता प्राप्त करना कठिन बना सकता है, जिससे संभावित रूप से पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर चूक सकते हैं।

आगे की राह

- **हाइब्रिड मॉडल लागू करना:** दूर से और कार्यालय में काम करने का मिश्रण सहयोग बनाए रखते हुए लचीलापन प्रदान कर सकता है।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना:** बेहतर संचार उपकरण टीमवर्क और उत्पादकता में अंतर को समाप्त कर सकते हैं।
- **समावेशी नीतियाँ विकसित करना:** संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूर से कार्य करने वाले कर्मचारी, विशेष रूप से महिलाएँ, विकास और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करना।

निष्कर्ष

- महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश की WFH पहल भारत में लैंगिक-समावेशी रोजगार नीतियों के लिए एक उदाहरण कायम करने की क्षमता रखती है।
- हालाँकि, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीतिक कार्यान्वयन और उत्पादकता एवं कार्यबल जुड़ाव पर इसके प्रभाव के निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

Source: BS

रुटेज(RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर(RSVC)

समाचार में

- सोनीपत के मंडौरा गाँव में रुटेज (RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का शुभारंभ किया गया, जो ग्रामीण तकनीकी उन्नति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है।

RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) मॉडल

- इसकी परिकल्पना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा की गई थी।
- इसे पंचायत स्तर पर एक स्थायी उपस्थिति के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कई वर्षों में 15-20 गाँवों की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गहन सहायता प्रदान करेगा।
- इसे 2024 में वाराणसी में NSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

तकनीकी समाधान प्रस्तुत

- RSVC विविध ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए 12 प्रौद्योगिकी ट्रैक की एक व्यापक शृंखला प्रदान करता है:
  - **कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन:** कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, होमस्टे और ग्राम पर्यटन के लिए सेवाएँ, KVK के सहयोग से बुवाई से पहले से कटाई के बाद की तकनीकों द्वारा समर्थित।
  - **RuTAG प्रौद्योगिकियाँ:** भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अंतर्गत विकसित 7 IIT के नवाचार।
  - **आजीविका और उद्यमिता:** उत्तर प्रदेश में NRLM जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** SELCO फाउंडेशन से तकनीकी सहायता के साथ सौर हाइब्रिड और पवन प्रौद्योगिकी समाधान।

- **WASH:** अपशिष्ट प्रबंधन, जल और स्वच्छता समाधान, जिसमें IIT मद्रास एक्वामैप्स और वीवॉइस प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- **फ़िनटेक:** IISC एवं XR ग्रुप द्वारा विकसित वित्तीय समावेशन ऐप और AR/VR प्रौद्योगिकियाँ।
- **क्षमता निर्माण:** टियर 2 एवं 3 कॉलेजों के साथ अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहल जहाँ NIFTEM चीनी, घी जैसी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से बिस्किट निर्माण का संचालन करने की सुविधा है। NAARM RSVC केंद्र प्रमुखों की क्षमता निर्माण का कार्य कर रहा है।
- **सरकारी योजना ऐप:** विज्ञान, तकनीक और कल्याण कार्यक्रमों के लिए नागरिक-केंद्रित ऐप के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रसार।
- **सहायक प्रौद्योगिकी:** सहायक प्रौद्योगिकी फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समाधान।

RSVC का उद्देश्य

- RSVC का उद्देश्य ग्रामीण ज़रूरतों और तकनीकी प्रगति के बीच के अंतर को समाप्त करना है, ताकि नवाचार जमीनी स्तर के समुदायों तक पहुँच सके।
- पशु घुसपैठ, जैविक खेती और आजीविका बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **खेती:** सटीक उपकरण (GPS, सेंसर) और मशीनीकरण (ट्रैक्टर) फसल की उपज और दक्षता बढ़ाते हैं।
- **शिक्षा:** ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल साक्षरता ग्रामीण छात्रों के लिए अंतर को समाप्त करती है। PM e-VIDYA और SWAYAM जैसी पहल डिजिटल शिक्षा के अवसर प्रदान करती हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** DBT कार्यक्रम और PM जन धन योजना नकदी रहित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, पारदर्शिता में सुधार करते हैं और धोखाधड़ी को कम करते हैं।
- **जल प्रबंधन:** जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कृषि में कुशल भूजल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- RSVC पहल सतत्, स्केलेबल और प्रभावशाली तकनीकी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- RSVC के प्रभाव को परिष्कृत और बढ़ाने के लिए निरंतर अपडेट एवं फीडबैक का उपयोग किया जाएगा।

Source :PIB

चीन का EAST रिएक्टर

संदर्भ

- चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) नामक एक परमाणु संलयन रिएक्टर में लगभग 1,066 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्लाज्मा को बनाए रखने में सक्षम थे।

परिचय

- EAST (अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर) ITER, एक अंतर्राष्ट्रीय मेगाप्रोजेक्ट के लिए एक टेस्टबेड रिएक्टर है।
- **परियोजना के सदस्य:** भारत और यूरोपीय संघ सहित विश्व के छह देश।
- वे एक टोकामक बनाने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं जो परमाणु संलयन को बनाए रखेगा जो प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा जारी करता है।
- टोकामक एक ऐसी मशीन है जो परमाणु संलयन अनुसंधान के लिए प्लाज्मा को सीमित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है।

पृष्ठभूमि

- **1939:** लीज़ मीटनर और ओटो फ्रिश ने विखंडन को ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया के रूप में समझाया।

- **1942:** एनरिको फर्मी और उनकी टीम ने प्रथम संधारणीय परमाणु विखंडन रिएक्टर बनाया।
  - परमाणु विखंडन से हानिकारक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है जबकि परमाणु संलयन से ऐसा नहीं होता।
  - परमाणु संलयन रिएक्टर स्वच्छ ऊर्जा के नए स्रोतों में गहरी दिलचस्पी रखने वाली विश्व के लिए एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी लक्ष्य बन गए हैं।
- **वर्तमान प्रगति:** ITER जैसी परियोजनाएँ व्यवहार्य संलयन रिएक्टर बनाने पर कार्य कर रही हैं, लेकिन संलयन से शुद्ध-सकारात्मक ऊर्जा अभी भी प्रगति पर है।

परमाणु संलयन क्या है?

- नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- संलयन अभिक्रियाएँ पदार्थ की एक अवस्था में होती हैं जिसे प्लाज़्मा कहते हैं - एक उष्ण, आवेशित गैस जो धनात्मक आयनों और मुक्त-गतिशील इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, जिसमें ठोस, तरल या गैसों से पृथक् अद्वितीय गुण होते हैं।
- सूर्य, अन्य सभी तारों के साथ, इस अभिक्रिया द्वारा संचालित होता है।
- **प्रक्रिया:** ड्यूटेरियम (H-2) और ट्रिटियम (H-3) परमाणुओं को मिलाकर हीलियम (He-4) बनाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक मुक्त और तेज़ न्यूट्रॉन भी निकलता है।
  - न्यूट्रॉन को ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के हल्के नाभिकों के संयोजन के पश्चात् बचे 'अतिरिक्त' द्रव्यमान से परिवर्तित गतिज ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है।
- **चुनौतियाँ:** नियंत्रित संलयन को प्राप्त करने के लिए तारों के समान अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है।

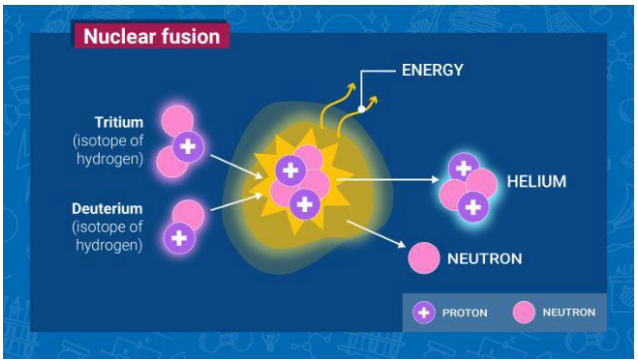

संलयन ऊर्जा का महत्त्व?

- **स्वच्छ ऊर्जा:** नाभिकीय संलयन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित नहीं होती हैं, इसलिए यह इस सदी के उत्तरार्ध से कम कार्बन विद्युत उत्पादन का दीर्घकालिक स्रोत हो सकता है।
- **अधिक कुशल:** नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन (परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है) की तुलना में प्रति किलोग्राम ईंधन पर चार गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और तेल या कोयले को जलाने की तुलना में लगभग चार मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।
- **संलयन ईंधन प्रचुर मात्रा में है और आसानी से उपलब्ध है:** ड्यूटेरियम को समुद्री जल से सस्ते में निकाला जा सकता है, और ट्रिटियम को प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में लिथियम के साथ संलयन-जनित न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया से संभावित रूप से उत्पादित किया जा सकता है।
  - ये ईंधन आपूर्ति लाखों वर्षों तक चलेगी।
- **उपयोग करने के लिए सुरक्षित:** भविष्य के संलयन रिएक्टर भी आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं और उनसे उच्च गतिविधि या लंबे समय तक रहने वाले परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त, चूँकि संलयन प्रक्रिया को प्रारंभ करना और बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए अनियंत्रित प्रतिक्रिया और पिघलने का कोई जोखिम नहीं है।

आगे की राह

- EAST की सफलताएं ITER के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, जिसे देरी और लागत में वृद्धि के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
  - ITER की लागत 18 बिलियन यूरो से अधिक है, जो इसे इतिहास का सबसे महँगा विज्ञान प्रयोग बनाता है।
  - उच्च लागत ने कुछ सरकारों को ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से रोक दिया है।
- **वैकल्पिक संलयन विधियाँ:**
  - **स्टेलरेटर (Stellarator):** एक घुमावदार डिज़ाइन वाला उपकरण जो चुंबकीय परिरोध को प्राप्त करने के लिए जटिल बाहरी चुंबकों का उपयोग करके पोलोइडल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता को समाप्त करता है।
  - **लेज़र आधारित संलयन:** ड्यूटेरियम-ट्रिटियम छर्रों को संपीड़ित करने के लिए शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग करता है, जिससे संलयन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है।
  - लेज़र आधारित संलयन से निकलने वाली गर्मी का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो टर्बाइनों को विद्युत का उत्पादन करने के लिए चलाती है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

MSMEs के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना' प्रारंभ की।

परिचय

- यह योजना संयंत्र, मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करके MSMEs को संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) पात्र MSMEs को स्वीकृत ऋण के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।
- उधारकर्ता एक वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला MSMEs होना चाहिए। गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी, हालाँकि कुल परियोजना लागत अधिक हो सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण या मशीनरी खरीदने के लिए होना चाहिए।

Source: AIR

के रल की पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की योजना

समाचार में

- केरल सरकार पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा' देने की योजना बना रही है, जो पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही माँग है।

उद्योग का दर्जा प्रदान करना

- इससे विद्युत, जल और संपत्ति कर में कटौती जैसे लाभ मिलते हैं, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।
- पर्यटन मंत्रालय ने एक पुस्तिका प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए 'उद्योग का दर्जा' देने और उसे लागू करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है।

उद्देश्य और आवश्यकता

- पर्यटन क्षेत्र, जो प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, प्राकृतिक आपदाओं, कोविड-19 महामारी एवं 2024 में बड़े भूस्खलन के कारण संघर्ष कर रहा है।

- हालिया कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देना है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% का योगदान देता है।

क्या आप जानते हैं?

- विरासत, संस्कृति और विविधता से समृद्ध भारत का पर्यटन क्षेत्र वैश्विक पसंदीदा और आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बनकर उभर रहा है।
- वित्त वर्ष 23 में GDP में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी से पहले के स्तर 5 प्रतिशत पर पहुँच गया। वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र ने 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किए।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित 2024 की रिपोर्ट में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 (TTDI) ने 119 देशों में भारत को 39वें स्थान पर रखा।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास और यात्रा सुविधा को बढ़ाने के लिए 2541.06 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Source :TH

परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व

संदर्भ

- पलक्कड़ में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा किए गए जीव सर्वेक्षण ने संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियाँ जोड़ी हैं।

परिचय

- **स्थान:** परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में पश्चिमी घाट पर्वतों के अन्नामलाईनेल्लियमपथी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है।
- **जनजातियाँ:** टाइगर रिजर्व चार अलग-अलग स्वदेशी जनजातियों का आवास है, जिनमें कादर, मालासर जनजाति, मुदुवर और माला मालासर सम्मिलित हैं, जो छह कॉलोनियों में स्थित हैं।
- **वनस्पति:** रिजर्व में विविध प्रकार के आवास हैं, जैसे सदाबहार, अर्ध-सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और शोला वन।
  - अन्य अनोखे आवास जैसे पर्वतीय और दलदली घास के मैदान, जिन्हें स्थानीय रूप से 'वायल' के रूप में जाना जाता है, भी पाए जाते हैं।
  - अभयारण्य में विभिन्न तरह के पेड़ हैं, जिनमें मुख्य रूप से सागौन, नीम, चंदन और शीशम शामिल हैं। सबसे पुराना सागौन का पेड़, कन्नीमारा सागौन यहाँ उपस्थित है।
- **जीव:** इसमें स्तनधारी, पक्षी, मछलियाँ आदि सहित पशु जीवन की समृद्ध जैव विविधता है। परम्बिकुलम को "विशाल गौर की राज्य राजधानी" कहा जाता है।
  - टोमोप्टेर्ना परम्बिकुलमना (परम्बिकुलम मेंढक) और चूसक मछली की एक प्रजाति, गारो सुरेन्द्रनाथानी, इस रिजर्व के लिए स्थानिक प्रजाति हैं।

जीव-जंतु सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- **पक्षी विविधता:** सर्वेक्षण में 206 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया, जिसमें 7 नई प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे कि पेंटेड स्परफाउल, रूफस-बेलिड हॉक-ईगल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, अनामलाई शोलाकिली, टैगा फ्लाईकैचर, प्लेन प्रिनिया और ग्रीन लीफ वार्बलर।
- **तितली विविधता:** लॉन्ग-ब्रांड बुशब्राउन, शॉट सिल्वरलाइन, स्कार्स शॉट सिल्वरलाइन, व्हाइट-डिस्क हेज ब्लू और पलनी डार्ट सहित पांच नई तितली प्रजातियाँ शामिल की गईं, जिससे कुल तितली संख्या बढ़कर 273 हो गई।

- **ओडोनेट विविधता:** ओडोनेट्स (ड्रैगनफ्लाइज़ और डैमसेल्फ़्लाइज़) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की गई: ब्राउन डार्नर, पैराकीट डार्नर एवं वेस्टालिस सबमोंटाना।

Source: TH

पुडुचेरी-विल्लुपुरम-ऑरोविले-कुड्डालोर जैव-क्षेत्र

संदर्भ

- पुडुचेरी-विल्लुपुरम-ऑरोविले-कुड्डालोर (PVAC) क्षेत्र की जैव विविधता पर एक डेटाबेस विकसित किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

जैव-क्षेत्र (Bioregion) क्या है?

- जैव-क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जो राजनीतिक सीमाओं के बजाय पारिस्थितिक प्रणालियों द्वारा परिभाषित होता है।
- यह अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक विशिष्ट पर्यावरणीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

PVAC जैव-क्षेत्र के बारे में

- PVAC जैव-क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें आर्द्रभूमि, लैगून एवं तटीय आवास जैसे प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्र शामिल हैं।
- यह श्री अरबिंदो सोसाइटी की एक इकाई स्वर्णिम पुडुचेरी द्वारा प्रारंभ की गई नो योर बायोरिजन पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना है।
- इस क्षेत्र के प्रमुख जल निकायों में थेंगैथिट्टू लैगून और नल्लावडु लैगून शामिल हैं, जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं।

पारिस्थितिक महत्त्व

- इस क्षेत्र में चिकने-लेपित ऊदबिलाव, मडस्किपर जैसी अंतर-ज्वारीय प्रजातियाँ, मैंग्रोव रेड स्नैपर जैसी मछलियाँ और मड क्रैब, इंडियन ग्लासी फिश और ग्रे मुलेट जैसी अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं - ये सभी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक हैं।
- नल्लावडू लैगून प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण निवास स्थान है, जिसमें रेडशैंक, कॉमन ग्रीनशैंक, गल्स और टर्न शामिल हैं।

Source: TH

अरावली सफारी पार्क परियोजना

संदर्भ

- हरियाणा सरकार की गुरुग्राम और नूंह में फैली 3,858 हेक्टेयर अरावली सफारी पार्क परियोजना को विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की परिकल्पना की गई है।

परिचय

- इसका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- **परियोजना की घोषणा:** 2022 में।
- **चरण 1 विकास:** 2,500 एकड़ में फैला हुआ है तथा बिग कैट और अन्य वन्यजीवों के लिए बड़े बाड़े बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **संरक्षण प्रयास:** इस परियोजना में ब्लैकबक्स, गिद्धों और नरम कवच वाले कछुओं जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के लिए समर्पित एक विशेष इकाई शामिल है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** इस परियोजना को पर्यावरणविदों और सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने संभावित पारिस्थितिक प्रभावों के कारण सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - अरावली सफारी पार्क परियोजना नियोजन और विकास के चरणों में है, जिसमें पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा डिजाइन एवं कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

- हरियाणा सरकार परियोजना की सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखे हुए है।

Source: TH

पौधों के लिए बैक्टीरिया से बना बैंड-एड

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, जीवाणु सेलुलोज़ का उपयोग पौधों में उपचार और पुनर्जनन को बेहतर बनाने के लिए पट्टी के रूप में किया जा सकता है।

जीवाणु सेलुलोज़

- यह कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक और नवीकरणीय नैनोमटेरियल है।
- इसकी विशेषता इसकी अद्वितीय त्रि-आयामी संरचना है जो इसे उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों और उच्च जल धारण क्षमता से संपन्न करती है।
- यह एक बहुत ही शुद्ध, क्रिस्टलीय और जैव-संगत बहुलक है।
- इसका उपयोग मानव चिकित्सा में व्यापक रूप से किया जाता है, प्रायः घाव भरने के लिए।

कृषि में संभावित अनुप्रयोग:

- जीवाणु सेलुलोज़ का उपयोग कृषि में ग्राफ्टिंग को सुविधाजनक बनाने, कटे हुए पौधों की सामग्री को संरक्षित करने, प्रयोगशालाओं में वृद्धि माध्यम के रूप में किया जा सकता है।

हालिया अध्ययन का महत्त्व

- इससे पौधों की वृद्धि और कृषि पद्धतियों में सहायता के लिए जीवाणु सेलुलोज़ के उपयोग की नई संभावनाएँ खुलती हैं।

Source :IE

DDoS हमला

समाचार में

- हाल ही में, कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल, जो भूमि पंजीकरण का कार्य संभालता है, को DDoS हमले के कारण गंभीर सर्वर व्यवधान का सामना करना पड़ा।

DDoS (वितरित सेवा निषेध) के बारे में

- यह एक प्रकार का डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला है, जिसमें वे सभी साइबर हमले शामिल हैं जो सेवाओं को बाधित या बंद कर देते हैं।
- इसका उद्देश्य वेबसाइटों, वेब एप्लिकेशन, क्लाउड सेवाओं या अन्य ऑनलाइन संसाधनों को अक्षम या बंद करना है।
- यह लक्ष्य को नकली पैकेट, व्यर्थ कनेक्शन अनुरोध या दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक से अभिभूत करता है।
- इसमें विभिन्न स्रोतों से ट्रैफ़िक शामिल होता है, जिससे वे "वितरित" हो जाते हैं।
- **प्रभाव:** DDoS हमलों के कारण लक्ष्य धीमा हो जाता है या क्रैश हो जाता है, जिससे यह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है।
  - वे सेवा डाउनटाइम, संचालन में बाधा और संभावित रूप से राजस्व हानि का कारण बन सकते हैं।
  - DDoS हमले सीधे डेटा नहीं चुराते हैं, वे अन्य साइबर हमलों के लिए विकर्षण के रूप में काम कर सकते हैं
- **शमन उपाय:** ट्रैफ़िक फ़िल्टरिंग, बॉट डिटेक्शन, दर सीमित करना, मजबूत प्रमाणीकरण और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग ऐसे हमलों को रोक सकता है।

अन्य प्रमुख DDoS हमले:

- **X (पूर्व में ट्विटर):** अगस्त 2024 में लक्षित, प्लेटफ़ॉर्म को बाधित करना।
- **गिटहब:** 2015 में चीन स्थित बॉटनेट द्वारा लक्षित, सेंसरशिप को दरकिनार करने का लक्ष्य।

Source :TH

सक्षम (SAKSHAM) अभियान

संदर्भ

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सक्षम नामक 14 दिवसीय जागरूकता अभियान प्रारंभ किया।

परिचय

- यह अभियान हरित ऊर्जा और ईंधन संरक्षण पर प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ईंधन संरक्षण और पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण और सतत् ऊर्जा संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राजी करना है।

Source: TH

ब्लेयर हाउस (Blair House)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वाशिंगटन डीसी में ब्लेयर हाउस के बाहर बड़ी संख्या में भारतीयों ने स्वागत किया।

परिचय

- प्रधानमंत्री अपने दो दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान इस ऐतिहासिक इमारत में ठहरे थे।
- ब्लेयर हाउस 1942 में अमेरिकी सरकार द्वारा खरीदे जाने के बाद से वाशिंगटन डीसी आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए प्रमुख आवास रहा है।
- इसे 'राष्ट्रपति का अतिथि गृह' भी कहा जाता है और इसका रखरखाव अमेरिकी विदेश विभाग और सामान्य सेवा प्रशासन द्वारा किया जाता है।
- ब्लेयर हाउस ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान मेजबानी की थी।

Source: IE

■■■■